कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थितः— श्री अनिल संत कमिश्नर वाणिज्य क**र,** उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी :— **सर्वश्री अप टू डेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिग प्रा0लि0, इ—17, साइट—सी, यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 इण्डस्टियल एरिया, सूरजपुर, नोएडा ।**

प्रा0प0सं0— **431 / 2008**

प्रार्थी की ओर से— **श्री आर0 के0दीवान, एडवोकेट, श्री भारतेन्दु देव, डाइरेक्टर ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008की धारा—59 के अर्न्तगतनिर्णय

I— प्रार्थी के द्वारा दिनांक 23—12—2008 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा—59 के अर्न्तगत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें व्यापारी द्वारा वैक्स के अन्तर्गत निम्न दो प्रश्न पर कर की दर की जानकारी चाही गयी हैः—

[1] Whether some polymers also called waxes and common wax [petroleum wax] which has been further refined and called semi refined / refined wax falls under the schedule of the U.P.Tax on entry of goods act,2000 ?

[2] Whether chemically coated release paper falls under of the U.P.Tax on entry of goods ct,2000 ?

व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा हाट मेल्ट एडेसिव का निर्माण किया जाता है तथा उक्त के निर्माण में Sasol wax, polyethylene wax, Refined Paraffin wax का प्रयोग किया जाता है तथा यह तीनों वस्तुयें मोम से भिन्न होती है अतः इन पर प्रवेश कर का दायित्व नहीं होना चाहिए।

मोम पर दिनांक—1—06—2008 तक प्रवेशकर था तथा उक्त की प्रविष्टि निम्नवत् थी

क्रमांक	वस्तु	कर की दर
19	मोम	4 प्रतिशत

जहॉ तक ैवस ूगए चवसलमजीलसमदम ूग का प्रश्न है उक्त के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली (I I T DELHI) के पालीमर सांइस एवं इंजीनियरिंग की विभागाध्यक्ष डा0 वीना चौधरी का एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार Sasol wax, polyethylene wax hydro carbon polymers होता है मोम नही होता है तथा वैक्स से भिन्न होता है । यही नहीं उनके द्वारा स्पेक्ट्रो ANALYTICAL LABS की एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार Sasol wax, polyethylene wax nksuksa gh polymers है मोम नही होता है । इसके अतिरिक्त refined paraffin wax के सम्बन्ध में व्यापारी द्वारा यह बताया गया कि Refined Paraffin wax dsk Slack Wax के नाम से भी जाना जाता है । अपने कथन के समर्थन में व्यापारी द्वारा Encyclopedia of wax की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जिसके अनुसार Slack Wax semi refined wax होता है । व्यापारी ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश शासन के संस्थागत वित्तकर एवं निबन्धन अनुभाग—2 द्वारा अपने पत्र संख्या—2679 / ।।—2—09 (55) / 5 दिनांक 26—12—06 द्वारा स्वंय Slack Wax को मोम से भिन्न मानते हुयेैसंबा ॅग को प्रवेश कर से मुक्त रखा गया है । शासन के उपरोक्त निर्णय का समर्थन कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा जारी परिपत्र संख्या—113दिनांक 21—2—07से भी होता है जिसके अनुसार मोम की प्रविष्टि केअन्तर्गत अन्तर्गत Slack Wax u vkus ds dkj.k Slack Wax को उ0प्र0शासन द्वारा न्याय विभाग का अभिमत के पश्चात प्रवेशकर से मुक्त मानागया है । व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि धारा—59 के अन्तर्गत पारित निर्णय सर्वश्री रघुनाथ मिश्रा पुत्रश्री मदन मिश्रा, कानपुर(प्रार्थना पत्र संख्या—35 / 07)में भी न केवलैसंबा ॅग अपितु रेसीडयूवैक्स को भी मोम से भिन्न मानते हुये प्रवेशकर की देयता से मुक्त माना गया है।

क्रमशः पृष्ठ 2 पर

सर्वश्री अप टू डेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिग प्रा0लि0, इ–17, साइट–सी, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्टियल एरिया, सूरजपुर, नोएडा / प्रा0प0सं0–431/2008

व्यापारी द्वारा अपने पूछे गये द्वितीय प्रश्न जो कि तमसमेंम चंचमत के सम्बन्ध में है, व्यापारी द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा पेपर का उपयोग उनके द्वारा निर्मित हाट मेल्ट एडेसिव को ठंडा करने के दौरान चिपकने से बचाने के लिये प्रयोग किया जाता है। व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा प्रयोग किया गया रिलीज पेपर न तो लिखने के काम आ सकता है और न छपाई के काम आ सकता है और न ही पैकिंग के काम आता है अतः उक्त रिलीज पेपर पर भी प्रवेश कर का दायित्व आर्कष्ट नहीं होता है । व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग–2 द्वारा जारी परिपत्र संख्या– 4590 दिनांक 24–10–02 द्वारा फोटो कापी पेपर को उपयोगिता के आधार पर कागज से भिन्न मानते हुये प्रवेश कर के दायित्व से मुक्त रखा गया था । अपने कथन के समर्थन में विधि अनुभाग द्वारा जारी आदेश संख्या–38 दिनांक 12–12–02 की प्रति दाखिल की गयी है। व्यापारी द्वारा यह भी बताया गया कि उनके द्वारा प्रयोग रिलीज पेपर पेपर मिल द्वारा बनाया भी नहीं जाता है।

2– व्यापारी के प्रार्थना पत्र पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–। वाणिज्य कर, नोएडा जोन, नोएडा ने अपने पत्र संख्या–2497 दिनांक 21–0।–09 के साथ संलग्न पत्र डिप्टी कमिश्नर, खण्ड–2, गौतमबुद्व नगर के पत्रांक से आख्या प्रेषित की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि Sasol wax, polyethylene wax दोनों का आयात विदेश से किया जाता है तथा देश में इनका निर्माण नहीं होता है तथा Refined Paraffin wax को व्यवसायिक भाषा में ैसंबा ॅग कहा जाता है तथा उनके अनुसार प्रत्येक तरह के वैक्स पर प्रवेश कर की देयता बनती है। जहॉ तक रिलीज पेपर का प्रश्न है उक्त सम्बन्ध में एडिशनल कमिश्नर ग्रेड–। द्वारा आख्या में कहा गया है कि पेपर किसी भी श्रेणी का क्यों न हो उस पर प्रवेश कर की देयता बनती है।

इसी पत्र के साथ व्यापारी द्वारा दूसरा प्रार्थना पत्र दिया गया है जिसमें व्यापारी द्वारा बीमउपबंससल बवंजमक रिलीज पेपर को पेपर से भिन्न बताया गया है तथा उनके द्वारा यह बताया गया कि उनका पेपर पेपर नहीं है बल्कि पेपर प्रोडेक्ट है तथा शासकीय विज्ञप्ति संख्या–क0नि0–2–2757/ग्यारह–9(9)/08–उ0प्र0अधि–30–2007–आदेश–(31)––2008दिनांक29–9–08 को जारी अनुसुची के क्रमांक–6 के अन्तर्गत नहीं आता है अतः प्रवेश कर की देयता नहीं बनती है।

3– धारा–59 के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई हेतु श्री आर0 के0दीवान, एडवोकेट, श्री भारतेन्दु देव, डाइरेक्टर उपस्थित हुये और प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया गया तथा पुनः लिखित स्पष्टीकरण साक्ष्यों सहित दाखिल किया गया ।

4– मेरे द्वारा व्यापारी के धारा–59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, प्राप्त आख्या तथा विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को का अवलोकन किया गया और पाया गया कि Sasol wax, polyethylene wax एक प्रकार से पालीमर्स है तथा भारतीय प्रौद्यौगिकी संस्थान, दिल्ली निर्गत प्रमाण पत्र से स्पष्ट होता है कि Sasol wax, polyethylene wax मोम नहीं है तथा मोम से भिन्न है तथा यह पालीमर्स है जैसा कि स्पेक्ट्रो लैब (I I T DELHI) की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उ0प्र0 शासन द्वारा अपने उपरोक्त शासनादेश संख्या–2679/।।–2–6–9(55) / 5 दिनांक 26–12–06 द्वारा न्याय विभाग से अभिमत प्राप्त करके ैसंबा ॅग को भी मोम से भिन्न माना गया है अतः न्याय विभाग के अभिमत के पश्चात जारी उपरोक्त शासनादेश से Slack Wax को भी मोम नहीं माना गया है अतः Sasol wax, polyethylene wax पालीमर्स होने

क्रमशः पृष्ठ 3 पर

<u>सर्वश्री अप टू डेट प्लास्टिक एण्ड पैकेजिग प्रा0लि0, इ–17, साइट–सी, यू0पी0एस0आई0डी0सी0 इण्डस्टियल एरिया, सूरजपुर, नोएडा / प्रा0प0सं0–431/2008</u>

होने के कारण मोम से पूणतः भिन्न है तथा semi refined wax (Slack Wax) को स्वंय शासन द्वारा मोम से भिन्न माना गया है। अतः इन Sasol wax rFkk polyethylene wax दोनो वस्तुओं पर आई0आई0.टी0दिल्ली एवं semi refined wax (Slack Wax) पर उपरोक्त शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में प्रवेश कर आर्कष्ट नहीं होता है जहॉ तक रिलीज कागज का प्रश्न है शासनादेश संख्या– क0नि0–2–2757/ग्यारह–9 (9)/08–उ0प्र0अधि–30–2007–आदेश–(31)––2008दिनांक 29–9–08 के अनुसार समाचार पत्र के अलावा लिखने, मुद्रण, पैकिग कागज पर प्रवेश कर की देयता निर्धारित है परन्तु रिलीज पेपर उक्त तीनो कामो मे प्रयुक्त नहीं होता है अतः रिलीज कागज पर भी प्रवेश कर आर्कष्ट नहीं होता है।

5– प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा–59 के प्रार्थना पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6– इस निर्णय की एक प्रति प्रार्थी को, एक प्रति सम्बन्धित कर निर्धारक अधिकारी को तथा एक प्रति वैव साइट में डालने हेतु भेजी जाय।

दिनांकः: 20 मार्च, 2009

ह0/20–3–09

(अनिल संत)
कमिश्नर वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।